संख्या : 4020 / XXX(4)-7 / उ0आन्दो0 / 2006

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
   एवं अवस्थापना विकास आयुक्त,
   उत्तरांचल शासन।
2. आयुक्त,
   वन एवं ग्राम्य विकास विभाग,
   उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
   उत्तरांचल शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तरांचल।
5. समस्त जिलाधिकारी।
6. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 8 नवम्बर, 2006

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1270 / तीस–2 / 2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम अवधि के लिए जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक, नियुक्ति हेतु चयन में 5% का अधिमान दिये जाने तथा अगले 5 वर्षों के लिए उनको 10% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त 7 दिन से अधिक अवधि के लिए जेल गये आन्दोलनकारी या घायल आन्दोलनकारी को सेवायोजन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि 7 दिन से अधिक अवधि के लिए जेल गये आन्दोलनकारी अथवा घायल हुए आन्दोलनकारियों में कतिपय आन्दोलनकारी 50 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थिति के कारण सेवायोजन में अनर्ह हैं अथवा अक्षम हैं। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 7 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल गये अथवा घायल हुए आन्दोलनकारियों में से निम्नलिखित श्रेणी के आन्दोलनकारी के परिवार के एक व्यक्ति, जो आन्दोलनकारी पर पूर्णरूप से आश्रित हो, को शासनादेश संख्या–1270 / तीस–2 / 2004, दिनांक 11–8–2004 के अन्तर्गत अनुमन्य 10% का

क्षातज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा :–

(1) वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और सेवायोजन के इच्छुक नहीं हैं;

(2) ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम हैं;

(3) उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य को उस पद की, जिसके लिए आवेदन कर रहा है, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की शर्त पूर्ण करनी होगी।

3– शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार श्रेणी में आने वाले आन्दोलनकारियों द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आच्छादित होने का शपथ–पत्र भी दिया जायेगा, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

4– उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण की सुविधा आगामी चयनों के अतिरिक्त उन चयनों में लागू होगी जिन पदों पर चयन हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि समाप्त नहीं हुई हो। जहाँ आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि समाप्त नहीं हुई है वहाँ ऐसे चयनों में उक्त चिन्हित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु 20 दिन की अवधि बढ़ा दी जायेगी। जहाँ पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि समाप्त हो गयी हो और चयन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी हो, वहाँ उपरोक्त आरक्षण की सुविधा लागू नहीं होगी।

5– उक्त श्रेणी में चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को 10% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के लिये परिवार के सदस्यों, जो कि आन्दोलनकारी पर आश्रित है, की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगे :–

(1) पत्नी;
(2) आश्रित पुत्र;
(3) अविवाहित पुत्रियां या विधवा पुत्रियां।

6– 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की उपरोक्त व्यवस्था शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004, दिनांक 11–8–2004 में निर्धारित अवधि अर्थात् चयन वर्ष 2006, 2009 तक ही अनुमन्य होगी, उसके पश्चात् उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

7– अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(नृप सिंह नपलच्याल),
प्रमुख सचिव।